भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-425
बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

रोजगार वृद्धि में कमी

425. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में हाल के वर्षों में रोजगार वृद्धि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लिंग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों इत्यादि जैसी विभिन्न श्रेणियों में रोजगार की राज्य-वार वर्तमान दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार के पास देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत देश में रोजगार वृद्धि में सुधार लाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया हैः

कामगार जनसंख्या अनुपात (%)	
सर्वेक्षण*	अखिल भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	46.8%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	50.5%
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	53.7%
2012-13 (श्रम ब्यूरो)	51.07%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)
कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) जैसे लिंग, शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिए गए हैं।

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से 3 सालों तक लाभ प्राप्त करेंगे।

<u>अनुबंध– I</u>

रोजगार वृद्धि में कमी के बारे में पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 20.11.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के भाग (क) से (ङ)के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)

आयु वर्ग: 15 वर्ष और उससे अधिक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	70.9	47.3	61.0	74.8	27.9	49.3	75.3	40.8	57.2
अरुणाचल प्रदेश	67.2	13.8	43.3	61.7	9.3	37.2	67.4	13.0	42.3
असम	75.0	10.6	43.8	71.3	13.6	42.8	74.7	11.0	43.7
बिहार	67.0	3.8	35.6	60.3	6.0	34.7	63.7	4.0	35.5
छत्तीसगढ़	77.5	52.8	65.5	73.0	27.0	50.0	76.6	47.6	62.4
दिल्ली	78.3	3.1	43.9	67.8	13.0	42.6	68.1	12.8	42.7
गोवा	69.0	25.1	46.1	61.2	21.3	40.7	64.4	22.9	42.9
गुजरात	74.4	21.6	49.1	73.4	15.5	45.1	74.0	19.0	47.4
हरियाणा	67.2	13.2	41.3	70.3	12.1	42.4	68.3	12.8	41.7
हिमाचल प्रदेश	71.2	50.0	60.2	69.8	21.3	48.3	71.0	47.5	58.9
जम्मू और कश्मीर	73.8	30.5	53.2	68.8	17.7	43.6	72.7	27.6	51.0
झारखंड	70.1	15.1	43.2	60.1	12.6	36.0	68.1	14.6	41.7
कर्नाटक	77.2	27.2	51.9	69.2	21.2	44.9	74.0	24.8	49.1
केरल	67.0	20.8	41.9	64.4	19.8	40.2	65.8	20.4	41.2
मध्य प्रदेश	78.0	34.9	57.3	69.5	19.6	45.3	75.9	31.0	54.3
महाराष्ट्र	72.8	36.7	55.0	69.6	19.1	44.7	71.4	29.1	50.5
मणिपुर	65.3	18.7	43.1	60.9	22.3	41.2	64.0	19.8	42.5
मेघालय	78.3	55.5	66.3	64.4	29.0	46.2	75.4	50.2	62.3
मिजोरम	73.1	25.9	50.2	60.1	26.1	42.2	67.1	26.0	46.4
नागालैंड	53.1	10.5	33.0	52.5	12.1	32.5	52.9	11.0	32.8
ओडिशा	73.6	18.9	45.6	69.1	14.8	41.1	72.9	18.3	44.9
पंजाब	67.7	12.5	41.1	73.1	15.7	45.8	69.8	13.7	42.9
राजस्थान	69.7	30.4	50.3	67.4	13.1	41.5	69.1	26.3	48.2
सिक्किम	74.2	45.8	60.6	73.6	30.6	54.0	74.0	41.6	58.7
तमिलनाडु	71.6	36.7	53.7	71.9	25.2	47.9	71.8	31.3	51.0
तेलंगाना	68.3	37.3	52.9	70.2	20.0	45.2	69.1	30.3	49.8
त्रिपुरा	71.1	10.3	42.5	68.0	13.7	40.2	70.5	11.1	42.0
उत्तराखंड	64.5	18.8	41.5	67.2	9.4	38.5	65.0	16.1	40.6
उत्तर प्रदेश	71.0	14.0	42.5	67.5	9.9	39.3	70.0	13.1	41.8
पश्चिम बंगाल	77.7	19.5	48.5	70.2	21.6	46.1	75.3	20.1	47.8
अंडमान एवं निकोबार दीव समूह	76.5	17.8	48.0	76.3	21.3	49.8	76.5	19.1	48.7
चंडीगढ़	73.6	14.4	47.0	74.0	20.1	46.9	74.0	20.0	46.9
दादरा और नगर	85.2	55.7	71.0	87.9	23.0	62.4	86.8	39.7	66.3
दमन और दीव	71.9	25.5	48.5	87.8	23.7	66.1	85.8	24.1	63.2
लक्षद्वीप	72.8	10.1	42.1	61.8	8.8	31.1	65.6	9.1	34.4
पुडुचेरी	63.3	6.6	33.7	64.9	16.8	39.9	64.4	13.4	37.8
अखिल भारत	72.0	23.7	48.1	69.3	18.2	43.9	71.2	22.0	46.8

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट: पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।